न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई (दौसा)

Ph:-01420-228487 E-Mail:-sdo-ban-dau-rj@nic.in

प्रकरण संख्या :–159/2025
प्रकरण दायर दिनांक:– 14.11.2025
प्रकरण निर्णय दिनांक:–18.02.2026

उनवान

1. भूरा देवी पुत्री जगदीश प्रसाद
2. पिस्ता देवी पुत्री जगदीश प्रसाद
3. रामा देवी पुत्री जगदीश प्रसाद
4. रूपसिंह पुत्र जगदीश प्रसाद
5. बीला देवी पत्नि लक्ष्मीराम

समस्त जाति गुर्जर निवासी सुमेल कलां तहसील बाँदीकुई जिला दौसा

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय तहसील बाँदीकुई जिला दौसा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पत्थरगढी किये जाने बाबत्

प्रकरण निर्णय दिनांक 18.02.2026

प्रार्थीगण द्वारा विरूद्ध अप्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट पत्थरगढी किये जाने बाबत इस आशय से पेश किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि खाता संख्या नया 136 पुराना 156 के आराजी खसरा सं. 1385/940 रकबा 0.09 हैक्टे. खसरा सं. 1387/942 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 1389/943 रकबा 0.14 हैक्टे. कुल किता 03 कुल रकबा 0.25 हैक्टे. वाके ग्राम सुमेल कलां पटवार हल्का द्वारपुरा तहसील बाँदीकुई जिला दौसा में स्थित हैं। जमाबंदी संवत 2076–79 संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि आराजी खसरा सं. 1385/940 रकबा 0.09 हैक्टे, खसरा सं. 1387/942 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 1389/943 रकबा 0.14 हैक्टे. कुल किता 03 कुल रकबा 0.25 हैक्टे, की पत्थरगढी नहीं होने के कारण काश्त के समय सीमाओं को लेकर विवाद होने की संभावना बनी रहती है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की भूमि में स्थायी सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण कृषि भूमि की स्थायी सुरक्षा दीवार भी नहीं कर पा रहे है। जिसके कारण आवारा जानवर प्रार्थीगण की फसल को नष्ट कर देते है, जिससे प्रार्थीगण को काफी नुकसान उठाना पडता है। इसलिये प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी खसरा सं. 1385/940 रकबा 0.09 हैक्टे, खसरा सं. 1387/942 रकबा 0.02

हैक्टे., खसरा नं. 1389/943 रकबा 0.14 हैक्टे. की पत्थरगढी करवाया जाना कानूनन एवं इंसाफन न्यायोचित है। इस कारण श्रीमान् के समक्ष प्रार्थना पत्र पत्थरगढी पेश है। प्रार्थीगण ने अपनी कृषि भूमि की सीमाज्ञान करवाने के लिए अप्रार्थी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर माननीय तहसीलदार महोदय के आदेशानुसार दिनांक 28.10.2025 को हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा मौके पर कृषि भूमि का सीमाज्ञान किया जा चुका है। जिसकी प्रति संलग्न है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि आराजी खसरा सं. 1385/940 रकबा 0.09 हैक्टे, खसरा सं. 1387/942 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 1389/943 रकबा 0.14 हैक्टे. की पत्थरगढी करवाया जाना कानूनन इन्साफन जरूरी है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि माननीय न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार ग्राम सुमेल कलां में स्थित है, इस कारण प्रार्थना पत्र पत्थरगढी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्राप्त है। अतएव प्रार्थना पत्र पत्थरगढी मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की कृषि आराजी खसरा सं. 1385/940 रकबा 0.09 हैक्टे, खसरा सं. 1387/942 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 1389/943 रकबा 0.14 हैक्टे. कुल किता 3 कुल रकबा 0.25 हैक्टे. वाके ग्राम सुमेल कलां पटवार हल्का द्वारापुरा तहसील बांदीकुई की पत्थरगढी सीमाज्ञान दिनांक 28.10.2025 के अनुसार पत्थरगढी किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे तथा अप्रार्थी को इस आशय की तहरीर जारी की जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जर्ये नोटिस विधिवत की गयी। तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 10858 दिनांक 18.12.2025 के द्वारा प्रकरण में मौका एवं रिकॉर्ड की वर्तमान रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सुमेलकलां के आराजी खसरा नं. 1385/940, 1387/942, 1389/943 किता 03 रकबा 0.25 हैक्टेयर में खातेदार पिस्ता देवी पुत्री जगदीश हि. 1/8, बीला देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण हि. 1/12, भूरा देवी पुत्री जगदीश हि. 1/8, रूपसिंह पुत्र जगदीश हि. 1/8, रामा देवी पुत्री जगदीश हि. 1/8 जाति गुर्जर सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उपरोक्त खसरा नंबरो पर किसी भी न्यायालय का स्थगन से संबंधित नोट अंकित नहीं है। उपरोक्त खसरा नंबरो में वर्तमान में चने की फसल बोयी हुई है। तथा पत्थरगढी करने बाबत अभिशंषा की गयी। दिनांक 18.02.2026 को प्रकरण में पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार बांदीकुई उपस्थित। प्रकरण में बहस प्रार्थीगण वकील एवं पैरोकार सरकार सुनी गयी। प्रार्थीगण वकील ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया। प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबंदी संवत 2076-79 ग्राम सुमेलकलां खाता सं. नया 136 पुराना 156 कुल किता 03 कुल रकबा 0.25 हैक्टे., मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम सुमेलकलां दिनांकः 28.10.2025 का अवलोकन किया गया। राजस्व जमाबंदी संवत 2076-79 ग्राम सुमेल खाता सं. नया 136 पुराना 156 में प्रार्थना पत्र के प्रार्थीगण रिकार्डड खातेदार काश्तकार हैं। मौका पर्चा ग्राम सुमेलकलां दिनांक 28.10.2025 के अनुसार वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 1385/940, 1387/942, 1389/943 का सीमाज्ञान हो चुका है। सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी विधिवत करने में बाधा का कोई कारण नहीं है। भूमि सुरक्षा हेतु सीमाज्ञान/सीमाचिन्ह व पत्थरगढी निर्धारित कराने का प्रार्थीगण को एल.आरएक्ट. प्रावधानों के अंतर्गत अधिकारात प्राप्त है। अतः प्रार्थीगण

वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात राजस्व जमाबन्दी, मौका-पर्चा सीमाज्ञान ग्राम सुमेलकलां दिनांक 28.10.2025 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बांदीकुई को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीगण की भूमि खाता संख्या नया 136 पुराना 156 के आराजी खसरा सं. 1385/940 रकबा 0.09 हैक्टे, खसरा सं. 1387/942 रकबा 0.02 हैक्टे., खसरा नं. 1389/943 रकबा 0.14 हैक्टे. कुल किता 3 कुल रकबा 0.25 हैक्टे. वाके ग्राम सुमेल कलां तहसील बांदीकुई जिला दौसा की मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान ग्राम सुमेलकलां दिनांक 28.10.2025 के विधिवत पत्थरगढी मय राजस्व टीम भू. अ. निरीक्षक, पटवारी की गठित कर करावें। पत्थरगढी के दौरान मौके पर कानून व्यवस्था/शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु आवश्यक पुलिस जाप्ता थानाधिकारी बॉदीकुई से प्राप्त करें। थानाधिकारी बॉदीकुई वांछित पुलिस जाप्ता तहसीलदार बांदीकुई को उपलब्ध करावें। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

18/2/26

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

...3 5 4-2000-10 लाख प्र.

FORM No. III

APP
Cril

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत कलेक्टर मुकाम बांदीकुई

सूरा देवी वगै. बनाम राजस्थान सरकार

मुकदमा प्रा॰ पत्र अन्तर्गत धारा 128 LRAct नं. 159 सन् 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
...2026	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 10850 दिनांक 18/12/2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है वास्ते तलबी अप्रार्थीगण जर्ये सम्मन रो की जाकर पत्रावली दिनांक 18/02/2026 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	
18/02/2026	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. पैरोकार सरकार उप. इस बाबत आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी वकील एवं पैरोकार सरकार द्वारा मूल प्रा. पत्र पर बहस की गयी। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः बहस प्रार्थी वकील एवं पैरोकार सरकार पर मनन करने व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी का प्रा॰ पत्र अंतर्गत धारा 128 LRAct स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) 18/2/26 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई	(हस्ताक्षर) 18/2/26 NTD Raibandikui